न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 16 / 2014

सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्रीमती सन्तरा पत्नी श्री रूपनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थिया**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
2. श्री दिनेश शर्मा, वकील अप्रार्थिया की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 02.02.2013 को ग्राम मोलकिया में आयोजित राजस्व कैम्प में उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सन्तरा पत्नी श्री रूपनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मोलकिया के आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.42 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थिया जरिये वकील उपस्थित हुई तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पानी बहाव क्षेत्र में स्थित है तथा मौके पर बहाव क्षेत्र में स्थित होने से काबिल काश्त नहीं है। इसी कारण अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया गया है तथा न ही आवंटित भूमि का मौके पर कब्जा संभलाने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा तथ्यों को छिपा कर मिथ्या कथन के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस का जोरदार विरोध करते हुए वकील अप्रार्थिया ने कथन किया कि उनके पक्ष में नियमानुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विधिवत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पानी के बहाव क्षेत्र में स्थित होने से नाकाबिल काश्त है जबकि अप्रार्थिया वादग्रस्त भूमि पर आवंटन पूर्व से ही काबिज काश्त चली आ रही है तथा विवादित भूमि किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है, बल्कि भूमि आवंटन योग्य होने के कारण ही अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित की गई है। वकील अप्रार्थिया ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि आवंटन के पश्चात् की कार्यवाही प्रार्थी के द्वारा की जानी थी लेकिन उनके द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं किये जाने से आवंटन कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन के आधार पर करवाया गया हो। अप्रार्थिया के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन बाबत् रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थिया द्वारा असत्य कथनों के आधार पर भूमि का आवंटन करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साईक्लोस्टाइल के रूप में है जो विधिनुसार पोषणीय नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जबकि रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त कथनों के आधार पर पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2069–72 में किस्म बारानी 2 दर्ज है, फिर किस कदर पानी बहाव क्षेत्र में होने से नाकाबिल काश्त भूमि मानी जा सकती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अस्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं मौका निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करें तथा तदनुसार कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner